18. संगठन एवं प्रबंधन

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डेयर)

देश में कृषि अनुसंधान और शिक्षा के समन्वयन और प्रोत्साहन के लिए कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डेयर) की स्थापना कृषि मंत्रालय में दिसम्बर, 1973 में की गयी थी। देशभर में बागवानी, मात्स्यिकी और पशु विज्ञान समेत कृषि के क्षेत्र में समन्वयन, मार्गदर्शन और अनुसंधान एवं शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में शीर्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को डेयर द्वारा आवश्यक शासी सहायता प्रदान की जाती है। देशभर में फैले 108 भा.कृ.अनु.प. संस्थानों और 65 कृषि विश्वविद्यालयों समेत यह विश्व की सर्वाधिक वृहद राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली में से एक है। भा.कृ.अनु.प. के अलावा भी कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में अन्य स्वायत्तशासी संस्थाएं, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल और एग्रीइन्नोवेट इंडिया लिमिटेड, दिल्ली हैं।

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल की स्थापना वर्ष 1993 में की गयी थी और इसका सम्पूर्ण वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसका कार्यक्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य हैं। भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए डेयर ही नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है। कृषि अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए यह विभाग विदेशी सरकारों, संयुक्त राष्ट्र, सी जी आई ए आर और अन्य बहुशाखीय एजेंसियों से संपर्क करता है। विभिन्न भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों/भा.कृ.अनु.प. संस्थानों में विदेशी छात्रों के दाखिले में भी डेयर द्वारा समन्वयन किया जाता है।

एग्रीइन्नोवेट इंडिया लिमिटेड की स्थापना 19 अक्तूबर 2011 को डेयर और भा.कृ.अनु.प. के साथ समन्वय करते हुए कार्य करने के लक्ष्य से की गई थी ताकि कृषि अनुसंधान एवं विकास के सुपरिणामों का विकास एवं प्रसार के कार्यकलापों को प्रोत्साहन मिल सके। एग्रीइन्नोवेट इंडिया लिमिटेड नामक इस कम्पनी से आशा की जाती है कि यह नवोन्मेष आधारित कृषि विकास में नवोन्मेषों, मानव संसाधन और नार्स की क्षमताओं का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हुए इस विकास को त्वरित गति प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगी। कंपनी से यह भी आशा है कि यह एक स्वतंत्र व्यावसायिक एजेंसी के रूप मे भा.कृ.अनु.प. के नेटवर्क से जुड़े तमाम संस्थानों में अनुसंधानकर्ताओं द्वारा विज्ञान का उपयोग करते हुए आहार, पोषण, जीविकोपार्जन और आय सुरक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति से जारी भिन्न कार्यकलापों का लाभ उठाते हुए कृषि विकास में योगदान करेगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गठन कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन के रूप में किया गया है। रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल की सिफारिशों पर सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत 16 जुलाई, 1929 को एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में भा.कृ.अनु.प. की स्थापना की गई। वर्ष 1965 और 1973 में दो बार इसका पुनर्गठन किया गया। पूर्व में इसे इम्पीरियल काउन्सिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से भी जाना जाता था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कृषि भवन, नई दिल्ली में है।

भारत सरकार के केन्द्रीय कृषि मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। भा.कृ.अनु.प. सोसायटी की आमसभा, भा.कृ.अनु.प. का सर्वोच्च प्राधिकरण है जिसके अध्यक्ष भारत सरकार के केन्द्रीय कृषि मंत्री होते हैं। इसके सदस्यों में कृषि, पशु-पालन एवं मत्स्य पालन मंत्री; विभिन्न राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारीगण; सांसद; उद्योग, शैक्षणिक संस्थानों, वैज्ञानिक संगठनों एवं किसानों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। (परिशिष्ट-I) परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी महानिदेशक होता है जो कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) में भारत सरकार का सचिव भी होता है। सचिव, भा.कृ.अनु.प. जो कृषि मंत्रालय में डेयर के अपर सचिव भी हैं, द्वारा इन्हें सहयोग दिया जाता है।

शासी निकाय (परिशिष्ट-2), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्य कार्यकारी एवं निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। महानिदेशक इसके अध्यक्ष होते हैं। प्रतिष्ठित वैज्ञानिकगण, शिक्षाविद्, विधायक तथा किसानों के प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं। शासी निकाय को प्रत्यायन बोर्ड, क्षेत्रीय समितियों तथा प्रकाशन समिति द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। परिषद के वैज्ञानिक कार्यों में महानिदेशक को भिन्न-भिन्न विषयों के कुल आठ उपमहानिदेशक सहयोग प्रदान करते हैं। ये (i) फसल-विज्ञान, (ii) बागवानी, (iii) प्राकृतिक संसाधन प्रबंध, (iv) पशु-पालन, (v) कृषि अभियांत्रिकी, (vi) मात्स्यिकी, (vii) कृषि शिक्षा, (viii) कृषि प्रसार से सम्बद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त एक राष्ट्रीय निदेशक (एनएआईपी) और एक राष्ट्रीय समन्वयक जो कि कृषि में राष्ट्रीय मूलभूत रणनीतिक एवं अग्रणी अनुप्रयोग अनुसंधान (एन.एफबी.एस.एफए.आर.ए.) से सम्बद्ध होता है, द्वारा भी महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहयोग प्रदान किया जाता है।

उपमहानिदेशक अपने संबंधित विषय के संस्थानों, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों और परियोजना निदेशालयों के कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रीय निदेशक, राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना (एन.ए.आई.पी.) को एनएआईपी के संघटक I से IV के तहत जारी समस्त परियोजनाओं का दायित्व सौंपा गया है। राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना (एन.ए.आई.पी.) ने कई नीतियों और संस्थागत परिवर्तनों का समर्थन किया और 4 संघटकों में 185 उप-परियोजनाओं को विश्व बैंक के ग्लोबल एन्वॉयरमेन्ट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड द्वारा अतिरिक्त वित्तीय अनुदान देकर सहायता प्रदान की गई। प्रदर्शित प्रगति और फेज-I के क्रियान्वयन में हुई देरी को देखते हुए राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना (एन.ए.आई.पी.) को 30 जून, 2014 तक बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय समन्वयक (एनएफबीएसएफएआरए) द्वारा कृषि मे राष्ट्रीय मूलभूत रणनीतिक एवं अग्रणी अनुप्रयोग अनुसंधान के सचिवालय के सुचारु कामकाज का दायित्व संभाला जाता है।

परिषद के अनुसंधान ढांचे में 51 संस्थान (परिशिष्ट-4) 6 राष्ट्रीय ब्यूरो (परिशिष्ट-5), 34 परियोजना निदेशालय एवं क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय (परिशिष्ट-6), राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र (परिशिष्ट-7) तथा

17 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं और नेटवर्क परियोजनाएं (परिशिष्ट-8) शामिल हैं।

कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय (डीकेएमए), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संचार इकाई के रूप में कार्य करता है जो कि परिषद तथा इसके संस्थानों के नेटवर्क द्वारा सृजित जानकारी/ज्ञान की आपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है। कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय, प्रकाशन व सूचना, कृषि ज्ञान प्रबंधन इकाई तथा जन-सम्पर्क इकाइयों के माध्यम से अपने अधिदेशों को क्रियान्वित करता है। एनएआईपी के तहत ई-पब्लिशिंग नॉलेज सिस्टम इन एग्रीकल्चरल रिसर्च, नामक परियोजना द्वारा 202 देशों में भा.कृ.अनु.प. के अनुसंधान साहित्य को पढ़ा जाने लगा है और डीकेएमए की शोध पत्रिकाओं में विदेशी लेखकों की संख्या भी बढ़ रही है।

परिषद, भारत सरकार तथा आंतरिक संसाधनों के सृजन से फंड हासिल करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (मुख्यालय) के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-3 में दर्शाई गई।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वैज्ञानिकों एवं अन्य कार्मिकों की नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा/सीधी भर्ती के माध्यम से की जाती हैं। यह पूरी चयन प्रक्रिया 1 नवम्बर, 1973 में गठित स्वतंत्र कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल द्वारा पूरी की जाती है। कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल (ए.एस.आर.बी.) अध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी के प्रति उत्तरदायी है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 55 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, 6 मानद विश्वविद्यालयों और 4 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा डेयर द्वारा पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र के लिए 1 केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय और एग्रोइन्नोवेट इंडिया लिमिटेड को विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान कर अनुसंधान, शिक्षा व प्रसार शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। (परिशिष्ट-9)

भा.कृ.अनु.प. प्रणाली में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों सहित कर्मचारियों की संख्या का विवरण परिशिष्ट 10 में दिया गया है। अनुसंधान ढांचे के विस्तृत नेटवर्क के जरिये तथा वैज्ञानिकों और अन्य कर्मचारियों की उत्कृष्ट टीम के सहयोग से, भा.कृ.अनु.प. द्वारा कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में तीव्र प्रगति हो रही है और खाद्य सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता पाने के राष्ट्रीय प्रयत्नों में इसका सतत सहयोग जारी है।

बौद्धिक सम्पदा और प्रौद्योगिकी प्रबंधन

भा.कृ.अनु.प. के बौद्धिक सम्पदा और प्रौद्योगिकी प्रबंधन कार्यकलापों में शामिल हैं (1) पेटेन्ट, कॉपीराइट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और पादप किस्म अधिकार पर आईपी सुरक्षा आवेदन (2) प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और उद्योग और संबंधितों की बैठकें/कार्यशालायें और प्रचार का आयोजन और (3) व्यापारिक लाइसेंस समझौते और एजेंसियों और व्यक्तियों को प्रौद्योगिकियां तथा सेवायें प्रदान करना।

बौद्धिक सम्पदा सुरक्षा और अधिकार प्रदान करना

पेटेन्ट: 26 अनुसंधान संस्थानों द्वारा 5 क्षेत्रों में 83 आवेदन किये गये, जिससे 68 भा.कृ.अनु.प. संस्थानों के पेटन्ट आवेदनों की संख्या बढ़कर 826 हो गयी है।

भारतीय पेटेन्ट ऑफिस ने 2003 (2), 2009 (4), 2010 (15), 2011 (44), 2012 (13), और 2013 (9) के दौरान 87 भा.कृ.अनु.प. आवेदन प्रकाशित किये। विदेशों में निम्न दो पेटेन्ट आवेदन किये गये

सारणी 18.1 प्रमुख पेटेन्ट आवेदन

विषय क्षेत्र	नवोन्मेष/प्रौद्योगिकियां
कृषि अभियांत्रिकी	सेल्यूलोज उत्पादन के लिए पाचित बायोगैस स्लरी के उपयोग हेतु प्रक्रिया प्रौद्योगिकी; नैनो जिंक ऑक्साइड युक्त सैल्यूलोजिक सामग्री; कपास और अरहर फसलों के लिए अन्त: छत्रक स्प्रे पद्धति; एलपीजी वाला थर्मिक फ्लुइड हीटेड डीप फैट ड्रायर; ऑप्टिकल स्कैनर आधारित फैब्रिक पिलिंग मापन पद्धति
पशु विज्ञान	केसिनो फोस्फोपेप्टाइड समृद्ध बफैलो केसिन हाइड्रोलाइसेटस; बकरी/भेड़ की सुरक्षा के लिए कोशिका सर्वंधित तनुकृत क्रियाशील ओरफ वैक्सीन; पेस्टे-डेस-पेटिट्स रूमिनेन्ट्स (पी पी आर) नेगेटिव मार्कर वैक्सीन का विकास; भारतीय रूमन्थी पशुओं में पैतृक जांच के लिए किट; दूध में *एल. मोनोसाइटोजींस* की जांच के लिए नवीन एंजाइम सब्स्ट्रेट आधारयुक्त तीव्र जांच; ग्लाइऑक्सेलिक अम्ल द्वारा मिथुन खाल का रंग गहरा करना; सूअर में आण्विक लिंग निर्धारण के लिए प्राइमर यौगिक
फसल विज्ञान	एम्फीफिलिक पॉलीमर आधारित मंदगति कैरोटीन के नैनो फार्मूलेशन; एंटी ऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल डाई-आरिल-इंडाजोल-3-ओल्स; लघु प्रसंस्करण के लिए क्रॉस फ्ली फ्लैक्सीबल मेम्बरेन फिल्टरेशन एसेम्बली; *एस्परजिलस फ्लेक्स* CZR-2 के प्रयोग से नैनो प्रेरित बायोलोजिकल फॉस्फोरस फर्टिलाइजर (NB-PHOS) का विकास; बायोएक्टिव मॉलीक्यूल्स के पॉलीमेरिक फार्मूलेशन का विकास; *मेग्नापोर्थे ओरिजेई* पॉलीन्यूक्लीओटाइड धान ब्लास्ट सहिष्णु के साथ; गेमेट स्टराइल पादप उत्पादन की विधि; लेन्टाना की पत्तियों से जैव धूमीकरण तैयार करने का प्रक्रिया; एस्परजिलस फ्लेवस TFR2 से प्लेटिनम नैनोकणों का तीव्र संश्लेषण
मात्स्यिकी	दबावयुक्त भाप द्वारा शंख से ओयस्टर मांस अलग करने का यंत्र और प्रक्रिया; खुले समुद्र में फिनफिश संवर्धन के लिए गेल्वेनाइज्ड लौह पिजंडे का विकस; जीन विशिष्ट जांच और प्राइमर, और *पीनीअस मोनोडोन* में मोरिलियन विषाणु के भारतीय विभेद की जांच हेतु जालयुक्त RT-PCR; *रोहू* और *कतला* के अन्त: प्रजातीय संकर की सटीक पहचान के लिए प्रक्रिया; ग्रीन मस्सल पेरना विरडिस एल से सूजनरोधी भाग अलग करना; बेगेसी से गतिशील मैट्रिक्स के प्रयोग द्वारा बैक्टीरिया की पहचान
बागवानी	आर्किड की ताजा परिपक्व पत्तियों से जीनोम की अच्छी गुणवत्ता और मात्रा प्राप्त करने के लिए संशोधित CTAB विधि; नीबूवर्गीय मूलसामग्री प्रजातियों की पहचान हेतु डीएनए आधारित नैदानिकी; अदरक का सूक्ष्मपोषकीय संघटन; बायोकैप्सूल द्वारा PGPR/माइक्रोब के भण्डारण और सिल्वर करने की नई विधि; कच्चे काजू भूनने के लिए घूमने वाली ड्रमयुक्त मशीन

पेटेन्ट संख्या	प्रौद्योगिकी/ नवोन्मेष	प्रदान किए जाने की तिथि
IN255661	जलीय हाइसैन्थ पादप को काटने और कुचलने की यांत्रिक विधि	13 मार्च, 2013
IN256424	भारी धातुओं से संदूषित जल के उपचार के लिए लिग्नोसैल्यूलोज अपशिष्ट से बना उत्पाद	14 जून, 2013
IN2256572	बैक्टीरियल बायोमास के लिए बैगेसी से बना इमोबिलाइजिंग मैट्रिक्स और इसे बनाने की प्रक्रिया	03 जुलाई, 2013
IN257068	स्प्रे शुष्क किया पनीर सुवास सान्द्र की उत्पादन प्रक्रिया	30 अगस्त, 2013

(1) *ट्राइकोडर्मा हार्जिएनम* और *स्यूडोमोनास फ्लेरूसेन्सेस* युक्त जैव कीटनाशक मिश्रण की उत्पादन प्रक्रिया, और (2) *स्यूडोमोनास फ्लोरोसेन्सेस* के जैविक फार्मूले की उत्पादन प्रक्रिया। भारतीय पेटेन्ट ऑफिस ने कुल 4 पेटेन्ट प्रदान किये। इसके साथ ही 25 संस्थानों से भा.कृ.अनु.प. के कुल पेटेन्ट 161 हो गई।

कॉपीराइट: 14 कॉपीराइट सी एस डब्ल्यू आर टी एंड आई, देहरादून; आई ए एस आर आई, नई दिल्ली और आईवीआरआई, इज्जतनगर द्वारा आवेदन/रजिस्टर किये गये। इनमें निम्न शामिल हैं: सर्वेक्षण डेटा विश्लेषण के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर SSDA 2.0; इंडियन NARS स्टेस्टीकल कम्प्यूटिंग पोर्टल; नॉलेज डेटा वेअरहाऊस फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च (KWAR); मृदा हानि सहिष्णु सीमा (SLTL) संगणक (सॉफ्टवेअर); कंटूर खाई बनानेके लिए निर्णय समर्थन प्रणाली; डिजाइन रिसोर्स सर्वर; मोनोग्राफ α-डिजाईन; लवण प्रभावित कृषि भूमियों और सिंचाई जल प्रबंधन के लिए USAR-AN EIA टूल। भा.कृ.अनु.प. के 11 संस्थानों से कुल 48 आवेदित कॉपीराइट रिकार्ड किये गये।

डिजाइन: आई वी आर आई, इज्जतनगर द्वारा 5 आवेदन किये गये (1) यूरिनरी कैथेटर (2) गोपशु और भैसों की टिबिया हेतु इंटरलॉकिंग नेल सिस्टम (3) गोपशु और भैंसों की टिबिया हेतु डिजाइनर लॉकिंग कम्पैशन प्लेट (4) रेडियस में फ्रेक्चर ठीक करने के लिए डिजाइनर लॉकिंग प्लेट (5) बड़े पशुओं के लिए पोर्टेबल नियंत्रण डिवाइस (TRAVI PORT) इस तरह 31 भा.कृ.अनु.प. संस्थानों से 17 डिजाइनों के आवेदन रिकार्ड किये गये।

ट्रेडमार्क: रजिस्टर किये गये ट्रेडमार्क इस प्रकार हैं: (1) सी ए आर आई, इज्जतनगर कारिब्रो-धनराज-व्यावसायिक, बहुरंगी ब्रायलर मुर्गी; कारिश्वेता-श्वेत पंख बटेर; कारिप्रिया-व्यावसायिक लेअर मुर्गी; कादम्बरी-गिनी फाऊल); और (2) सी पी सी आर आई, कासरगोड (शब्द और लोगो/शब्दचिन्ह)। भा.कृ.अनु.प. के 16 संस्थानों से 33 ट्रेडमार्क आवेदन किये गये।

पादप किस्में: पादप किस्म सुरक्षा और कृषक अधिकार प्राधिकरण को रजिस्टरी के लिए 87 किस्मों (72 देशज, 04 नयी और 11 कृषक किस्में) के आवेदन प्रस्तुत किये गये। पहले वाले आवेदनों में 138 किस्मों (127 देशज, 9 नई और 2 मौलिक व्युत्पन्न) को रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र प्रदान किये गये। इससे रजिस्टर किस्मों की कुल संख्या 469 हो गयी है।

पादप किस्म सुरक्षा आवेदनों की संचित संख्या 982 (875 देशज; 96 नई और 11 कृषक किस्में) हो गयी हैं जो प्रकार हैं: (i) खाद्यान्न 518 (गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा); (ii) तिलहन 89 (तिल, मूंगफली, अरण्डी, सूरजमुखी, सोयाबीन, अलसी, राया सरसों, कुसुम,

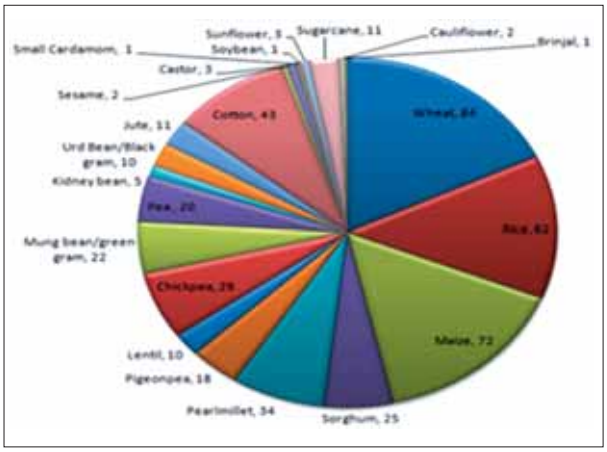

पंजीकृत पादप किस्मों का फसलवार वितरण

पीली सरसों, तोरिआ, गोभी सरसों, भूरी सरसों); (iii) दलहन 179 (अरहर, मसूर, चना, मूंग, मटर, राजमा, उड़द); (iv) व्यावसायिक फसलें 152 (जूट, कपास, गन्ना); और (v) बागवानी फसलें 44 (गुलदाउदी, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, छोटी इलाइची, आलू, फूलगोभी, बंदगोभी, बैंगन, टमाटर)

प्रसार गतिविधियां

भा.कृ.अनु.प. के 33 संस्थानों द्वारा 79 जागरूकता कार्यक्रम/आमुख उत्पाद विशिष्ट बैठक/कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित किये गये। इनमें से मुख्य इस प्रकार हैं—एग्री-बिजनेस कैम्प/निवेशक बैठक विभिन्न जिंस समूहों के लिए (जैसे मात्स्यिकी, कपास प्रौद्योगिकियां, बीज और रोपण सामग्रियां और पादप स्वास्थ्य प्रबंन्धन); बायोमास उपयोग की प्रौद्योगिकियों के किए उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ई डी पी) और बागवानी में जैव प्रौद्योगिकी; क्षेत्र नवोन्मेषक दिवस, भा.कृ.अनु.प. - उद्योग आमुख कार्यशाला 2013, 'काजू गिरी के लिए गुणवत्ता मानक' विषय पर चर्चा बैठक; एन ए आई पी क्षेत्रीय खाद्य प्रसंस्करण और पी एच टी उद्योग बैठक-2013; ताजाजल मात्स्यिकी में व्यावसायिक अवसरों पर राष्ट्रीय कार्यशाला; एन डी आर आई—उद्योग बैठक; कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी एवं कृषि अभियांत्रिकी उद्यमशीलता बैठक; और पादप किस्म सुरक्षा हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण और डी यू एस जांच।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/व्यावसायीकरण

समझौता ज्ञापनों, लाइसेंस समझौतों और परामर्शों/अनुबंध अनुसंधान/अनुबंध सेवा के द्वारा किसानों, गैर सरकारी संगठनों और निजी संगठनों के साथ (बीज/पशु चिकित्सा/प्रसंस्करण/कीटनाशी कंपनियों सहित) व्यावसायिक संबंध बनाये गये। 42 भा.कृ.अनु.प संस्थानों ने 193

संगठनों के साथ कुल 340 भागीदारी समझौते किये। ये समझौते कृषि की विभिन्न विधाओं में 157 प्रौद्योगिकियों के लिए किये गये जैसे कृषि अभियांत्रिकी (29) पशु विज्ञान (31), फसल विज्ञान (53), मात्स्यिकी (10) और बागवानी (34)

भा.कृ.अनु.प. संस्थानों द्वारा प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण

फार्म मशीनरी: एडजस्टेबल रो मेकर; ब्रॉड बेड फरो मशीन; कसावा खुदाई यंत्र और हस्तचालित एवं मोटर वाली चिप्स मशीन; कोनो वीडर; फाइबर स्प्रेटर; पूसा एक्वा फर्टी-सीड ड्रिल।

पशु चिकित्सा विज्ञान: भैंसों, ऊंटों (एकल और दोहरे कूबड़ वाले) गौपशु और जेबू पशु (बॉस इंडिकस) में पैतृकों की पहचान के लिए नैदानिक किट।

डेरी विज्ञान: दूध में एनियोनिक डिटर्जेंट के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक परीक्षण; दुग्ध प्रौद्योगिकी में इन्ट्रोकोकई की जांच; दूध में डिटर्जेंट की जांच के लिए नई रंग आधारित प्रौद्योगिकी विधि; दूध में *एल. मोनोसाइटोजीन्स* की जांच के लिए द्वि-स्तरीय एंजाइम आधारित विश्लेषण।

पशु आधारित मूल्य सवंर्धित उत्पाद: पायस आधारित चिकन उत्पाद; हर्डल प्रौद्योगिकी आधारित मांस का अचार; नमकीन मुर्गी अंडे तैयार करने की विधि।

पादप किस्में: धान, डी आर आर एच-2, डी आर आर एच-3, पूसा पंजाब बासमती धान-1509, धान संकर एचआई-1544;

फूलगोभी: पूसा हाइब्रिड-2, कार्तिक शंकर; गाजर, पूसा रुधिरा;

खीरा: पूसा संजोग; लोबिया: काशी कंचन, काशी निधि; टमाटर: स्वर्ण संपदा, स्वर्ण विजया; और ग्लेडिओलस, पूसा मनमोहक, पूसा उन्नति, रेड वेलेन्टाइन।

पादप वृद्धि प्रवर्धन और सुरक्षा: *हैटरोहैब्डीटिस इंडिका* के डब्ल्यू पी फार्मूले का नया कीटनाशी सफेद सूंडी और अन्य मृदा कीटों, नाशीकीटों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रभेद NBAII Hil; कस्टमाइज्ड लीफकलर चार्ट; सीडप्रो—एक सूक्ष्मजीवी पादप विकास नियामक और फफूंदीनाशक; जैवसक्रिय अणुओं के नैनो-फार्मूलेशन जैसे—कार्बोफ्यूरान, *एजाडिराक्टिन,* इमिडाक्लोप्रिड; नैनो सल्फर (मोनोक्लीनिक, ऑर्थोहोम्बिक और नैनो हैक्साकोनाजोल सल्फर)।

कटाई उपरांत उत्पाद और प्रक्रियाएं: काली/जामुनी गाजर, *कैप्सीकम* सालसा से एंथेसियानिन सत्त निकालना; लौहतत्त्वयुक्त बिस्कुट; लाख आधारित नेल पॉलिश; पूसा न्यूट्री कुकीज़, पर्ल पफ, सोया नट; *स्टीविया* पत्तियों से स्टीविओल ग्लाइकोसाइड सत्त; ऊष्ण प्रक्रिया से वरजिन कोकोनट ऑयल तैयार करना; लीची फलों से शराब; नैनोसैल्यूलोज़ उत्पादन प्रौद्योगिकी।

मत्स्य उत्पादन प्रौद्योगिकियां: खुले समुद्र में समुद्री मछली के प्रजनन और संवर्द्धन की युक्ति; एशियाई समुद्री वास बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी; सीफाब्रूड - उत्कृष्ट कार्प ब्रूड स्टॉक आहार; कैडालमिन टी एम GAe (समुद्री खरपतवार से सूजनरोधी औषधि; एफआर पी पोर्टेबल कार्प हैचरी; इम्यूनोबूस्ट सी-ब्रूड मत्स्य स्वास्थ्य के लिए प्रतिरक्षी उत्प्रेरक।

प्रशासन

भर्ती

सीधी भर्ती और प्रोन्नति द्वारा वर्ष 2012-13 में निम्नलिखित पद भरे गये: निदेशक (1); उपसचिव (4); प्रशासनिक अधिकारी (14); उपनिदेशक/मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी (5); वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी (2); वित्त एवं लेखा अधिकारी (6); अनुभाग अधिकारी (5); सहायक (40); प्रमुख निजी सचिव (1); निजी सचिव (1); कनिष्ठ लिपिक (1)

एम.ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्रदान करना

वर्ष 2012-13 के दौरान बड़ी संख्या में भा.कृ.अनु.प. (मुख्यालय एवं संस्थान) के पात्र अधिकारियों एवं स्टाफ को भारत सरकार (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा लागू की गई एम.ए.सी.पी. स्कीम के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया।

स्टाफ कल्याण निधि योजना

(i) भा.कृ.अनु.प. मुख्यालय की कल्याण निधि प्रबंधन समिति की सिफारिशों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (मुख्यालय) के एक दिवंगत कर्मचारी के परिवार को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

(ii) स्टाफकल्याण निधि योजना के अन्तर्गत परिषद कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को 46 छात्रवृत्तियां (प्रत्येक 2,500) प्रदान की गईं।

(iii) भा.कृ.अनु.प. मुख्यालय के एक दिवंगत कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति करूणामूलक आधार पर की गई।

नयी पहल

भा.कृ.अनु.प. के लिए आई एस ओ 9001 सर्टिफिकेट: डेयर और भा.कृ.अनु.प. आई एस ओ 9001: 2008 मानक के अनुरूप गुणवत्ता प्रणाली प्रबंधन लागू करके प्रमाणपत्र पाने वाले देश के पहले विभाग हैं। श्री एस.के. खन्ना (उप महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो) ने 16 जुलाई, 2013 को डॉ. एस. अय्यप्पन (सचिव, डेयर और महानिदेशक भा.कृ.अनु.प.) को यह प्रमाणपत्र प्रदान किया। निष्पादन प्रबंधन संभाग, केन्द्रीय सचिवालय के रिजल्ट फ्रेमवर्क डाक्यूमेंट के अनुसार देशभर में सभी सरकारी विभागों को निष्पादन निगरानी संकेतक के तौर पर आई एस ओ 9001: 2008 सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए।

कीटनाशी अवशेष प्रयोगशाला, आईआईएचआर को 16 अक्तूबर 2012 को रसायन परीक्षण के क्षेत्र में मानक आईएसओ/आईईसी 17025:2005 के अनुरूप नेशनल बोर्ड ऑफ टैस्टिंग एंड केलीब्रेशन लैबोरेट्रीज़, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रत्यायन प्रदान किया गया।

भा.कृ.अनु.प. मुख्यालय में ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम लागू: बेहतर पारदर्शिता और क्षमता के लिए ई-शासन की ओर कदम बढ़ाते हुए भा.कृ.अनु.प. ने मुख्यालय में ऑटोमेशन लागू किया है। इस ई ऑफिस में सभी कार्य कम्प्यूटर आधारित हैं जैसे फाइलों का प्रेषण, छुट्टी प्रार्थनापत्र, दौरा प्रस्ताव, रोजमर्रा के कार्य की आवश्यक सूचना, कई अन्य उपयोगी फीचर आदि।

आर टी आई आवेदनों की ऑनलाइन रसीद, निबटान और निगरानी के लिए परिषद भारत सरकार के आर टी आई पोर्टल में भी शामिल है। कोर्ट मामले और सर्तकता मामलों की निगरानी के लिए सिस्टम का विकास भी इस कम्प्यूटरीकरण की प्रमुख पहल है।

वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार परिषद सभी निविदाओं को भारत सरकार के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर प्रकाशित कर रही है और अधिकाधिक भागीदारी तथा पारदर्शिता के लिए इस प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया में इलैक्ट्रॉनिक तरीके से करेगी।

भा.कृ.अनु.प. का फेसबुक पेज़: देश में आम जनता खासतौर से युवाओं से जुड़ने के लिए परिषद ने फेसबुक पेज़ (www.facebook.com/InAgrisearch) की शुरूआत की है। फेसबुक पेज से दिलचस्प और मजेदार तरीके से सूचना प्रदान की जाती है। नौ महीने के कम समय में ही 15,000 पसंद के साथ यह अति लोकप्रिय होता जा रहा है।

वित्त एवं लेखा

वर्ष 2012-13 के डेयर/भा.कृ.अनु.प. को योजना एवं गैर-योजना (संशोधित अनुमान) में क्रमश: 2520 करोड़ रु. एवं 2100 रु. आबंटित किये गए। आंतरिक संसाधनों (लोन एवं अग्रिम पर ब्याज, रिवॉल्विंग फंड स्कीम से आय, लोन व अग्रिम की वसूली तथा अल्पावधि जमा पर ब्याज सहित) से 185.47 करोड़ रु. का सृजन किया गया। वर्ष 2013-14 के लिए योजना एवं गैर-योजना (बजट अनुमान) क्रमश: 3415 करोड़ रु. तथा 2314.17 करोड़ रुपये है।

राजभाषा का प्रगामी प्रयोग

डेयर

हिन्दी अनुभाग द्वारा निम्न लक्ष्य हासिल किये गये:

- स्वायतशासी निकायों में राजभाषा नीति विभाग द्वारा जारी निर्देशनों को लागू करने में राजभाषा संभाग के सहायक निदेशक (राजभाषा) स्तर के अधिकारी द्वारा प्रशासनिक तरीके से राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के विभाग एवं स्वायत्तशाली निकायों में क्रियान्वयन हेतु निरंतर प्रयास किए गए। हिन्दी अनुभाग द्वारा राजभाषा एक्ट धारा 3(3) के तहत अनुवाद कार्य किया जाता है। सरकार की राजभाषा नीति की तरह राजभाषा के प्रगामी प्रयोग हेतु डेयर द्वारा ये प्रयत्न किये गये हैं।
- भा.कृ.अनु.प. की राजभाषा क्रियान्वयन समिति के साथ त्रैमासिक संयुक्त बैठकों का आयोजन विभाग के अपर सचिव की अध्यक्षता में नियमित रूप से किया जाता है, अपर सचिव ही डेयर के राजभाषा नीति क्रियान्वयन के नोडल अधिकारी हैं। इस वर्ष चार बैठकें आयोजित की गईं और बैठक के निर्णयों के अनुसार कार्यवृत लागू किया गया।
- राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित त्रैमासिक रिपोर्ट भी राजभाषा विभाग को नियमित भेजी जाती है।
- इस वर्ष 3 ऑफिसों के निरीक्षण किये गये और कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में कार्य करने में आने वाली व्यवहारिक दिक्कतों के समाधान संबंधी सुझाव दिये गये।
- हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित आशुलिपिकों, निजी सहायकों और निजी सचिवों की सेवाओं का उपयोग करके हिन्दी में कार्य करने की अधिकारियों को हिदायतें दी गयीं। हिन्दी ना जानने वाले आशुलिपिकों को प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया गया।
- वर्ष के दौरान, सामान्य प्रशासन संबंधी कुछ कार्य केवल हिन्दी में ही किए जाने के निर्देश दिए गए।
- राजभाषा नीति क्रियान्वयन को लागू करने के लिए प्रभावी जांच बिन्दु तैयार किये गये हैं।
- भा.कृ.अनु.प. के सहयोग से विभाग द्वारा 14 सितम्बर से 13 अक्तूबर, 2013 तक हिन्दी चेतना मास का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित केन्द्रीय कृषि मंत्री और सचिव, डेयर तथा महानिदेशक, भा.कृ.अनु.प. के संदेशों को भी वितरित किया गया। कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी की।
- इलैक्ट्रॉनिक मोड में राजभाषा नीति लागू करने के प्रयत्न में विभाग द्वारा अंग्रेजी और हिन्दी में वेबसाइट शुरू की गयी हैं। सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड डाले गये हैं ताकि अधिकारी और स्टॉफ राजभाषा में पत्र व्यवहार कर सकें।

भा.कृ.अनु.प.

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए परिषद द्वारा निम्न कदम उठाये गये:

- केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 9 अप्रैल, 2013 को संयुक्त हिन्दी परामर्शदात्री समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में डेयर सहित कृषि मंत्रालय के तीनों विभागों ने भाग लिया।
- महानिदेशक, भा.कृ.अनु.प. द्वारा प्रति माह वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में हिन्दी क्रियान्वयन प्रगति की समीक्षा की जाती है और संयुक्त हिन्दी परामर्शदात्री समिति के फैसलों को लागू करने की हिदायतें सभी संबंधितों को दी जाती है।
- महानिदेशक, भा.कृ.अनु.प. द्वारा हिन्दी जानने वाले सभी अधिकारियों को अपना अधिकतर कार्य हिन्दी में करने के आदेश जारी किये गये।
- राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत परिषद के 3 संस्थानों/केन्द्रों को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। इस प्रकार अधिसूचित संस्थानों/केन्द्रों की संख्या बढ़कर 121 हो गई।
- अपर सचिव (डेयर) और सचिव (भा.कृ.अनु.प.) द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में डेयर और भा.कृ.अनु.प. की संयुक्त

राजभाषा क्रियान्वयन समिति की 4 बैठकों की अध्यक्षता की गयी। इस अवधि में स्टॉफ के विभिन्न वर्गों के लिए 4 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया ताकि उन्हें राजभाषा नीति से अवगत कराकर यूनिकोड प्रशिक्षण दिया जाये। अधिकतर भा.कृ.अनु.प. संस्थानों में राजभाषा क्रियान्वयन समिति कार्यरत है।

- इस दौरान अपना अधिकतर कार्य हिन्दी में करने के लिए मुख्यालय के 10 अधिकारियों को नकद इनाम दिये गये।
- निम्न भा.कृ.अनु.प. संस्थानों को *राजर्षि टंडन राजभाषा पुरस्कार प्रदान* किये गये:-

भा.कृ.अनु.प. संस्थान	पुरस्कार
बड़े संस्थान	
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	प्रथम
राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा	द्वितीय
'क' और 'ख' क्षेत्र के संस्थान/केन्द्र	
ज्वार अनुसंधान निदेशालय, इंदौर, मध्य प्रदेश	प्रथम
केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेअर	द्वितीय
'ग' क्षेत्र के संस्थान/केन्द्र	
केन्द्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	प्रथम
केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोच्चि, केरल	द्वितीय

- गणेश शंकर विद्यार्थी उत्कृष्ट हिन्दी कृषि पत्रिका पुरस्कार निम्न संस्थानों को प्रदान किये गये:-

हिन्दी पत्रिका	संस्थान	पुरस्कार
नीलांजलि	केन्द्रीय अंत:स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	प्रथम
पूसा सुरभि	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	द्वितीय
दुग्ध गंगा	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा	तृतीय

- ऑन लाइन रिपोर्ट भेजने की शुरूआत हो चुकी है और क्षेत्रीय क्रियान्वयन कार्यालय को यह रिपोर्ट भेजी जाती है। विभिन्न संस्थानों से प्राप्त त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा परिषद मुख्यालय द्वारा करके उन्हें क्रियान्वयन सुधार संबंधी सुझाव दिये जाते हैं। भा.कृ.अनु.प. की ओर से टी ओ एल आई सी में भाग लिया गया।
- निदेशालय द्वारा यूनिकोड और हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण दिया जाता है।
- हिन्दी चेतना मास (14 सितम्बर से 13 अक्तूबर, 2013 तक आयोजित) के अवसर पर केन्द्रीय कृषि मंत्री का प्रेरणात्मक संदेश परिषद के संस्थानों को भेजा गया। महानिदेशक, भा.कृ.अनु.प. ने भी परिषद के स्टॉफ से ऑफिस कार्य में हिन्दी प्रयोग करने की अपील की। 'आई सी ए आर फेसबुक' पर 'स्लोगन प्रतियोगिता' की शुरूआत की गयी जिसमें सभी संस्थानों के कर्मचारियों ने भाग लिया।
- राजभाषा विभाग की सिफारिशों के अनुपालन में वर्ष 2012-13 के दौरान 36 संस्थानों का निरीक्षण किया गया और कमियों को दूर करने के सुझाव दिये गये। संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति ने परिषद (मुख्यालय) और कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल सहित 13 संस्थानों/केन्द्रों का निरीक्षण किया।
- भा.कृ.अनु.प. की द्विवार्षिक अनुसंधान पत्रिका *कृषिका* और विभिन्न संस्थानों की हिन्दी गतिविधियों के बारे में वर्णन करने वाली पत्रिका *राजभाषा आलोक* को भा.कृ.अनु.प. वेबसाइट www.icar.org.in पर अपलोड किया गया।
- परिषद और इसके संस्थानों द्वारा *किसान मेला* और हिन्दी एवं अन्य भाषाओं में *गोष्ठियों* का आयोजन किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों के किसानों को उनकी क्षेत्रीय भाषा और हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जाता है।
- संसद में प्रस्तुत की जाने वाली समस्त सामग्री के अलावा वार्षिक योजना रिपोर्ट, अनुदान मांगों की समीक्षा एवं शासी निकाय, स्थायी वित्त समिति, कृषि पर संसदीय स्थायी समिति, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी की वार्षिक आमसभा और अनेक बैठकों की समस्त सामग्री हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार की गई। माननीय कृषि मंत्री एवं परिषद के अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले व्याख्यानों का मसौदा मूलरूप से हिन्दी में भी तैयार किया गया।

- आई आईएस आर, लखनऊ की हिन्दी पत्रिका *इक्षु* को माननीय राष्ट्रपति द्वारा 14 सितम्बर, 2013 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में द्वितीय पुरस्कार दिया गया।

तकनीकी समन्वयन

परिषद द्वारा प्रकाशन के लिए 43 पत्रिकाओं, राष्ट्रीय सेमीनार/सम्मेलन/संगोष्ठी के आयोजन हेतु 36 सोसायटियों/एसोसिएशनों/विश्वविद्यालयों तथा अंतर-राष्ट्रीय सेमीनार/सम्मेलन/संगोष्ठी के आयोजन हेतु 23 सोसायटियों/एसोसिएशनों/विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। नास, भारतीय विज्ञान कांग्रेस तथा आई.ए.यू.ए. को भी वार्षिक अनुदान जारी किया गया। वीआईपी के 15 प्रश्नों, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 10 प्रश्नों तथा 26 संसदीय प्रश्नों का

उत्तर दिया गया। डेयर की वार्षिक रिपोर्ट 2012–13 तथा लेखा रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

भा.कृ.अनु.प. क्षेत्रीय समिति सं. III की बैठक का आयोजन 17 और 18 अप्रैल को असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट में किया गया और भा.कृ.अनु.प. के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सिफारिशें जारी कर दी गयी। विभिन्न भा.कृ.अनु.प. संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/प्रायोजना निदेशालयों द्वारा अनुसंधान और अन्य मामलों की प्रमुख उपलब्धियों की मासिक रिपोर्ट समयानुसार केन्द्रीय सचिवालय को प्रस्तुत कर दी गयी और इसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को वितरित किया गया। निजी उद्यमियों की अनुसंधान और विकास इकाइयों की पहचान हेतु प्रस्ताव संस्तुति के लिए भा.कृ.अनु.प. ने डी एस आई आर के साथ साझा कार्य किया।

विभिन्न देशों के साथ कृषि और संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए कार्य योजनाएं (20) तैयार की गईं। परिषद के वैज्ञानिकों/स्टॉफ की प्रतिनियुक्ति रिपोर्टों का मूल्यांकन किया गया। परिषद के सक्षम प्राधिकारी द्वारा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के समझौता ज्ञापनों को मंजूरी दी गयी।

19 और 20 मार्च को आयोजित निदेशक संगोष्ठी का कार्यवृत 12 अप्रैल, 2013 को वितरित किया गया। पद्म विभूषण श्री एन आर नारायण मूर्ति (अध्यक्ष, इंफोसिस लि.) ने इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया। प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन (सांसद, राज्यसभा) ने संभाषण दिया। इस संगोष्ठी में बड़े संस्थान के लिए केन्द्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान, हैदराबाद को उत्कृष्ट वार्षिक रिपोर्ट पुरस्कार प्रदान किया गया और छोटे संस्थान के वर्ग में राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र, पुणे और राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, तिरूचिरापल्ली को पुरस्कार प्रदान किया गया।

भा.कृ.अनु.प. स्थापना दिवस एवं पुरस्कार समारोह

भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने भा.कृ.अनु.प. के 85वें स्थापना दिवस पर 16 जुलाई, 2013 को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर, नई दिल्ली में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बेंगलुरू, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए भा.कृ.अनु.प. अनुसंधान परिसर, उमियम और राष्ट्रीय पशु पोषण एवं कायिकी संस्थान, अडुगोडी, बेंगलुरू को सर्वश्रेष्ठ संस्थान पुरस्कार प्रदान किये। इस अवसर पर श्री शरद पवार, माननीय केन्द्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने श्री तारिक अनवर और डॉ. चरण दास महन्त (माननीय केन्द्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री) के साथ मिलकर भा.कृ.अनु.प. पुरस्कार समारोह, 2012 के पुरस्कार वितरित किये। श्री शरद पवार ने कहा कि पुरस्कृत व्यक्तियों

भारत के माननीय राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी और केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार, भा.कृ.अनु.प. के प्रकाशनों को जारी करते हुए

को मिली पहचान से उनमें कहीं ज्यादा जोश और सृजनात्मकता आयेगी। डॉ. एस. अय्यप्पन (सचिव, डेयर और महानिदेशक, भा.कृ.अनु.प.) ने घोषित किया कि 16 वर्गों के तहत कुल 79 विजेताओं को पुरस्कार दिये गये। इनमें 3 संस्थान, 1 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना, 9 कृषि विज्ञान केन्द्र, 9 कृषक, 2 पत्रकार और 10 महिला वैज्ञानिकों सहित 55 वैज्ञानिक शामिल हैं।

❑